

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा  
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-32/2021  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत  
श्री अशोक बैठा — विक्रेता  
प्रति  
श्रीमती लालमती देवी — क्रेता

**आदेश**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) श्री अशोक बैठा, पिता-स्व० रामनाथ बैठा, ग्राम-रेजो, पोस्ट-बाना, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती लालमती देवी, पति-शिवसागर रजक, ग्राम-रेजो, पोस्ट-बाना, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, मेराल से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मेराल के पत्रांक 179/दिनांक 23.03.2022 एवं 357/दिनांक 23.06.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के पिता रामनाथ बैठा के नाम से मांग पंजी ॥ के पृष्ठ सं०-79/9 पर चलता है। विक्रेता जाति के घोबी (अनुसूचित जाति) एवं क्रेता घोबी (अनुसूचित जाति) के सदस्य हैं, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, मेराल के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेता) श्री अशोक बैठा, पिता-स्व० रामनाथ बैठा, ग्राम-रेजो, पोस्ट-बाना, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्रीमती लालमती देवी, पति-शिवसागर रजक, ग्राम-रेजो, पोस्ट-बाना, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तानान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

**भूमि का विवरण:-**

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहद्दी
रेजो	193	234	891	0.07 $\frac{1}{2}$	उ०-क्रेता, द०-बीरेन्द्र मिश्र वगै०, पू०-हरिद्वार मिश्र व क्रेता, प०-क्रेता
		81	896	0.07 $\frac{1}{2}$	उ०-प्लॉट 880, द०-प्लॉट 892, पू०-रास्ता, प०-क्रेता
		100	741	0.15	उ०-युगेश्वर पंडित, द०-द्वारिका मिश्र, पू०-बीरेन्द्र मिश्र वगैरह, प०-द्वारिका मिश्र
		72	803	0.07 $\frac{1}{2}$	उ०-चन्द्रमानी कुँवर, द०-बिन्धेश्वरी पाण्डेय, पू०-रास्ता, प०-बिन्धेश्वरी पाण्डेय
कुल रकबा:-				0.37 $\frac{1}{2}$	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,  
गढ़वा

अपर समाहर्ता,  
गढ़वा



कोषाध्यक्ष

B - 20473

सचिव